

धर्मशाला - 176215,

04 अप्रैल, 2021

कार्यालय आदेश

राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन सैल, हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश सं. Rev(DMC)(C) 20-2/2021-COVID-19-III दिनांक 03.04.2021 के अनुसरण में एवं इस सम्बन्ध में पूर्व में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में हुई अधिष्ठाताओं एवं विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 27.03.2021 के निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला, शाहपुर एवं देहरा स्थित समस्त परिसरों में सभी प्रकार की ऑफलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक 15.04.2021 तक स्थगित किया जाता है।

2. पूर्व में जारी कार्यालय आदेश 1-6/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/खंड-XIV/1647-57 दिनांक 28 मार्च, 2021 में उल्लेखित अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।
3. यह माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

हिन्द भूषण 4/4/2021

(हिन्द भूषण कुटलैहडिया)

सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)

पृष्ठांकन सं.: समसंख्या

दिनांक 04.04.2021

प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. मानद निदेशक, सप्त सिंधु परिसर, हि.प्र.के.वि., देहरा, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)।
2. समन्वयक, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)।
3. वित्त अधिकारी, हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)।
4. परीक्षा नियंत्रक, हि.प्र.के.वि., कैंप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)।
6. विश्वविद्यालय के धर्मशाला/शाहपुर/देहरा परिसर स्थित विभिन्न स्कूलों के सभी अधिष्ठाता।
7. विश्वविद्यालय के धर्मशाला/शाहपुर/देहरा परिसर स्थित विभिन्न विभागों के सभी विभागाध्यक्ष।
8. विश्वविद्यालय के धर्मशाला/शाहपुर/देहरा परिसर स्थित विभिन्न केन्द्रों के सभी निदेशक।
9. विश्वविद्यालय के धर्मशाला/शाहपुर/देहरा परिसर स्थित पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रभारी)।
10. विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में तैनात वार्डन, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला / कांगड़ा।
11. लोक सम्पर्क अधिकारी, हि.प्र.के.वि., कैंप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)।
12. कुलपति, हि.प्र.के.वि. के निजी सचिव- कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
13. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मिण, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला/देहरा/शाहपुर।

हिन्द भूषण 4/4/2021

सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)